न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 81 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/90)
पंजीयन दिनांक– 18.02.2021
निर्णय दिनांक– 19.07.2021

1. श्री वनीचन्द पिता पुनमचन्द महाजन, निवासी निकुम्भ, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. प्रिसिंपल, राजकीय सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, निकुम्भ, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।
2. तहसीलदार, बड़ीसादड़ी, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–
1. श्री नरेश जणवा –अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अभिभाषक –अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी के प्रकरण
संख्या–01 / 2015 निर्णय दिनांक 08.06.2017

निर्णय

दिनांक 19.07.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी के प्रकरण संख्या 01 / 2015 निर्णय दिनांक 08.06.2017 के विरूद्ध दिनांक 29.01.2018 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय

संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 18.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोडेंटगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा निकुम्भ, तहसील बड़ीसादड़ी में अपीलांट के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की खाता संख्या 604 में आराजी नम्बर 1145/1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि अवस्थित है, वर्तमान में हुई पैमाईश में अपीलांट के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात में सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा उक्त खसरे को तोडकर आराजी नम्बर 1803 रकबा 0.32 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1804 रकबा 0.02 हैक्टेयर दर्शित किया गया जिसमें सहवन से आराजी नम्बर 1802 रकबा 0.06 हैक्टेयर को रेस्पोडेंट संख्या 1 की खातेदारी को अपीलांट के हिस्से के नक्शा ट्रेस में दर्शित कर दिया। आराजी नम्बर 1145/1 को ही तोडकर नवीन आराजी नम्बर 1803, 1804 मुर्तिब किया गया है व उक्त वर्णित आराजीयात के ही भाग होकर अपीलांट के खातेदारी की होकर कब्जे काश्त में चली आ रही है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 01/2015 निर्णय दिनांक 08.06.2017 से न्याय आपके द्वारा–2017 अभियान के तहत लोक अदालत कैम्प कोर्ट निकुम्भ में अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 08.06.2017 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– *''पत्रावली न्याय आपके द्वारा–2017 अभियान के तहत लोक अदालत कैम्प कोर्ट निकुम्भ पर पेश हुई। तहसीलदार, बड़ीसादड़ी से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। ग्राम निकुम्भ प्रिंसिपल, राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल, निकुम्भ के नाम दर्ज भूमि पुराने एवं नये रेकार्ड का अवलोकन किया। भू–प्रबंध से पूर्व ग्राम निकुम्भ की आराजी नम्बर 1145/2 रकबा 0.06, आराजी नम्बर 1146 रकबा 1.17 बीघा कुल किता 2 रकबा 2.03 बीघा भूमि विद्यालय के नाम*

दर्ज थी। भू–प्रबंध के बाद उपरोक्त पुरानी आराजी के नये आराजी नम्बर 1801 रकबा 0.39 हैक्टेयर एवं 1802 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.45 हैक्टेयर बने एवं वर्तमान रेकार्ड से विद्यालय के नाम दर्ज है। इस तरह विद्यालय के नाम नये एंव पुराने रेकार्ड के रकबे का मिलान किया गया जो बराबर एवं रेकार्ड अनुसार मौके पर कब्जा है। अतः वादी की भूमि नवीन रेकार्ड में विद्यालय के नाम दर्ज नहीं हुई। अतः उक्त प्रकरण धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व खारिज किया जाता''

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश जणवा उपस्थित व रेस्पोडेंट्स की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 09.07.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा मौके पर आराजी नम्बर 1802 का अपुष्ठ तौर से सीमांकन भी करवा लिया गया है व अपने कब्जे एवं स्वामित्व में लेने के लिए मौके पर जेसीबी मशीन व अन्य उपकरणों की सहायता से करीब 50 वर्ष से अधिक पुराने वृक्ष काटने व अपीलांट द्वारा बनाये गये पक्के पानी के धोरे को तोडने तथा अपीलांट द्वारा बोयी गयी फसल को भी हांकने पर आमादा है। रेस्पोडेंट संख्या 1 की मौजा निकुम्भ की साबिक आराजी नम्बर 1145/2 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 1146 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड रही, उसी अनुसार उक्त आराजीयात के चारो तरफ रेस्पोडेंट संख्या 1 ने बाउण्ड्रीवाल का निमार्ण करवाया व स्कूल भवन संचालित है व उसके पिछे आम सडक निकुम्भ से पुनावली अवस्थित है तथा सडक के उस पार अपीलांट की कृषि आराजीयात अवस्थित है जिससे स्पष्ट है कि साबिक नक्शे में भी अपीलांट व

रेसपोडेंट संख्या 1 की आराजीयात के बिच में आम सडक निकुम्भ से पुनावली बनी हुई है जो सार्वजनिक सडक है व उक्त सडक अपीलांट व रेसपोडेंट की आराजीयात को अलग–अलग दर्शित करती है फिर भी नवीन भू–प्रबंध में रेस्पोडेंट संख्या 1 की आराजीयात को सडक के उस पार में अपीलांट की आरजीयात में दर्शित करा दिया जो दुरस्ती योग्य थी। उक्त प्ररकण मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु नियत था व दिनांक 08.06.2017 तक उक्त प्रकरण में कोई मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई नही पक्षकारान लोक अदालत में उपस्थित हुए न ही अपनी ओर से कोई राजीनामा ही प्रस्तुत किया गया। लोक अदालत में उन्ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें दोनो पक्ष उपस्थित होकर लिखित राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामे अनुसार प्रकरण का निस्तारण चाहते हो। उक्त प्रकरण में पक्षकारान द्वारा किसी प्रकार का राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया, फिर भी विचारण न्यायालय ने प्ररकण का निस्तारण करते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निर्णय पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2017 नियमानुसार होकर उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गय

प्रकरण में सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियत पेशी दिनांक 24.07.2017 से पूर्व दिनांक 08.06.2017 को अपीलांट को सूचित किये बना अपना निर्णय पारित किया अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.06.2017 की पूर्व जानकारी होने की कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है, अतएवं अपीलांट के दफा 5 के आवेदन व अखण्डित शपथ पत्र के आवेदन पर मयाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अब हम अपील का गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते है। अपीलांट द्वारा किये गये कथनो व दलीलों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.03.2016 को मौका निरीक्षण रिपोर्ट तलब की गई जो दिनांक 22.05.2017 तक 14 पेशियों तक प्राप्त नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.05.2017 को दिनांक 24.07.2017 की पेशी तय की गई दिनांक 24.07.2017 से पूर्व ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 के आग्रह पर पत्रावली न्याय आपके द्वार केम्प में अपीलांट को सूचित किये बिना दिनांक 08.06.2017 को ही रख ली। अपीलांट को न तो सूचित किया ना ही सूना गया। दिनांक 08.06.2017 को तहसीलदार ने रेकर्ड के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें विद्यालय की भूमियों का साबिक व हाल मिलान करते हुए रिपोर्ट ली गई एवं इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.06.2017 को इस मौका निरीक्षण आधार पर अपीलांट को बिना सुने निर्णय पारित कर दिया। स्पष्टया अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है क्योंकि नियत तिथी से पूर्व अपीलांट को सूचित व सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। मौका निरीक्षण भी अपीलांट की अनुपस्थिति व उसके कथनों पर प्रकाश डाले बिना तथा उसकी आराजीयात का विवेचन किये बिना ही निर्णय पारित किया है। उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.08.2021 को उपस्थित हो।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर